कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक 821

प्रेषक

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची ।

सेवामे

प्राचार्य,
डी०ए०भी० स्वर्णरेखा पब्लिक स्कुल, विद्यानगर, हरमु, राँची ।
युडैसकोड- **20140120739**

राँची, दिनांक 07/08/2019

विषय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महाशय

आपके द्वारा दिनाक 06.05.2018 को समर्पित आवेदन और इस संबध मे विद्यालय के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर, **डी०ए०भी० स्वर्णरेखा पब्लिक स्कुल, विद्यानगर, हरमु, राँची** को शैक्षणिक सत्र 2018–2019 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधिन हो-

1. इस मान्यता मे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नही है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधो को पूर्णरूपेण पालन करेगा ।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. उक्त कंडिका 3 मे उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अपबंधो के तहत प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चो या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नही लेगा और विद्यालय मे नामांकन हेतु किसी बालक या उस के माता पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उस की आयु का सबूत नही होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और ऐसे स्थिति मे अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन किया जायेगा
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओ पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा -
   - I प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे अनुतीर्ण नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा
   - II किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नही दिया जायेगा,
   - III प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही कि जायेगी,
   - IV प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक मे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,
   - V अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ततायुक्त / विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा ।

Gangesh Gunjan
Dr. Gangesh Gunjan
Secretary
DAV Swarnrekha Public School
Harmu, Ranchi

Manju Singh
Dr. MANJU SINGH
Principal
DAV Swarnrekha Public School
Ranchi

VI— अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएं के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतमअहर्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पॉच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताऍ अर्जित कर लेंगे,

VII— अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यो का पालन करेंगे,

VIII— अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापो मे नियोजित नही करेंगे ।

8 विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा ।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई सुविधाएं निम्नानुसार है :-

I विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल — **101059 वर्गफिट**

II कुलनिर्मित क्षेत्र — **8652 वर्गफिट**

III क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल — **92407 वर्गफिट**

IV कक्षाओ की सख्या — **18 (अठ्ठारह)**

V प्राध्यापक सह कार्यालय सह भांडारगार के लिए कक्ष — **3**

VI बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय — हॉ ।

VII पेयजल सुविधा — हॉ ।

VIII बाधा रहित पहुँच — हॉ ।

IX अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेल कुद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता — **हॉ** ।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उस के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलाई जायेगी ।

12. विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओ या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा ।

13 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा ।

14 विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

15 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिलाशिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जो मान्यता सबधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाये ।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जायेगा । सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा ।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सख्याक 042 है । कृप्या इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस सख्याक का उल्लेख किया जाये ।

जिला शिक्षा अधीक्षक, 07.08.19
राँची

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

Dr. Gangesh Gunjan
Secretary
DAV Swarnrekha Public School
Harmu, Ranchi

Dr. MANJU SINGH
Principal
DAV Swarnrekha Public School
Ranchi